बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 284974 दिनांक 02/09/2020

ग्रा०वि०15(स्वच्छता)-11/2019

प्रेषित,

अरविन्द कुमार चौधरी, भा०प्र०से०,
प्रधान सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार ।

विषय : **'खुले में शौच से मुक्ति' के स्थायित्व एवं व्यवहार परिवर्तन के चिरस्थायीकरण हेतु 'स्वच्छ गांव-हमारा गौरव' अभियान का संचालन सितंबर, 2020 से मार्च, 2021 तक (प्रति माह एक सप्ताह अवधि) किये जाने के संबंध में ।**

महाशय/महाशया,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि 'खुले में शौच से मुक्ति' के स्थायित्व एवं संपूर्ण स्वच्छता हेतु व्यवहार परिवर्तन को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए गांव / समुदाय स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियों का संचालन तथा सतत निगरानी किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है । 'खुले में शौच से मुक्ति' के स्थायित्व एवं व्यवहार परिवर्तन की निरंतरता हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत राज्य के सभी ग्रामों में सितंबर, 2020 से मार्च, 2021 (सात माह) तक **प्रत्येक माह में एक सप्ताह अवधि का** (साप्ताहिक) **'स्वच्छ गांव-हमारा गौरव'**- विशेष अभियान का संचालन किया जाय। "खुले में शौच से मुक्ति" के स्थायित्व हेतु सुबह-शाम निगरानी, सामुदायिक उत्प्रेरण एवं जन-जागृति गतिविधियों का संचालन किया जाय तथा जिला अंतर्गत वैसे ग्राम / ग्राम पंचायत / प्रखंड जहां अभी भी समुदाय का कोई व्यक्ति खुले में शौच जा रहा है, स्वच्छता आच्छादन में अंतर (Gap) है, शौचालय के नियमित उपयोग की निरंतरता में कमी है अथवा लाभार्थियों द्वारा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण पूर्ण कराया जाना शेष है और सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) का समुदाय द्वारा समुचित उपयोग एवं रखरखाव के प्रति 'व्यवहार परिवर्तन' में कमी है, वहां अपेक्षाकृत ज्यादा संसाधन एवं ध्यान देकर सघनतापूर्वक **'स्वच्छ गांव-हमारा गौरव'** अभियान का संचालन किया जाय ।

उपरोक्त वर्णित **'स्वच्छ गांव-हमारा गौरव'** अभियान के सफल संचालन हेतु निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय :-

(क) **'स्वच्छ गांव-हमारा गौरव'** अभियान का संचालन सितंबर, 2020 से मार्च, 2021 तक किया जाय। सितंबर, 2020 में अभियान का संचालन दिनांक 04 सितंबर से 10 सितंबर 2020 तक एवं अक्टूबर, 2020 से मार्च 2021 तक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह (दिनांक 01 से 07 तक) में अभियान संचालित किया जाय ।

(ख) **'स्वच्छ गांव-हमारा गौरव'** अभियान अंतर्गत सुबह-शाम निगरानी एवं जन-जागरूकता गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत हेतु एक नोडल कर्मी नामित किया जाय । नोडल कर्मी के रूप में प्रखंड समन्वयक, विकास मित्र, जिला संसाधन सेवी, राज्य संसाधन सेवी, पंचायत रोजगार सेवक, सामुदायिक समन्वयक आदि को नामित किया जा सकता है ।

(ग) **'स्वच्छ गांव-हमारा गौरव'** अभियान के संचालन तथा अनुश्रवण हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक दो ग्राम पंचायतों पर एक पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी नामित किया जाय ।

(घ) जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंडों के वरीय नोडल पदाधिकारी / वरीय उप समाहर्ता द्वारा इस अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु नेतृत्व प्रदान किया जाय ।

(ङ) गांवों में अभियान का संचालन प्रखंड समन्वयक, पंजीकृत स्वच्छाग्रही (संबंधित ग्राम / ग्राम पंचायत का निवासी हो), LSBA के SRP/DRP द्वारा निगरानी समितियों के सहयोग से किया जाएगा। अभियान में योगदान देने वाला स्वच्छाग्रही स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के IMIS पर स्वच्छाग्रही के रूप में पंजीकृत होगा ।

(च) अभियान का अनुश्रवण **'स्वच्छ गांव-हमारा गौरव' - मोबाईल एप्प"** से किया जायेगा। अभियान में योगदान देने वाले स्वच्छाग्रही, SRP, DRP, प्रखंड समन्वयक, जिला सलाहकार तथा जिला समन्वयक को अभियान संचालन अवधि के दौरान किये गए कार्यों का विवरण मोबाईल एप्प पर दर्ज करना होगा। मोबाइल एप्प का लिंक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान- राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (LSBA-SPMU) द्वारा भेजा जाएगा ।

(छ) **'स्वच्छ गांव-हमारा गौरव'** अभियान के दौरान किए गए गतिविधियों एवं उपलब्धियों के संबंध में संबंधित जिला सलाहकार-IEC / प्रभारी जिला सलाहकार-IEC द्वारा विस्तृत मासिक प्रतिवेदन (फोटो सहित) तैयार कर जिला जल एवं स्वच्छता समिति एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-राज्य कार्यालय को संसूचित किया जाय ।

(ज) **'स्वच्छ गांव-हमारा गौरव'** अभियान के प्रचार-प्रसार हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा डिजिटल मीडिया का भी (ट्यूटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वाट्सएप इत्यादि) उपयोग किया जाय ।

(झ) **'स्वच्छ गांव-हमारा गौरव'** अभियान में प्रशंसनीय योगदान देने वाले अधिकारी / कर्मी, स्वच्छाग्रही, निगरानी समिति सदस्य, स्वच्छता चैंपियन और जनजागरूकता हेतु आयोजित प्रतियोगिताओं (यथा- ऑनलाइन चित्रकला/निबंध प्रतियोगिता, 'मेरा शौचालय-स्वच्छ एवं सुंदर' आदि) के श्रेष्ठ प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाय। इस हेतु प्रखंड स्तर पर दिसम्बर, 2020 एवं मार्च, 2021 माह में तथा जिला स्तर पर फरवरी, 2021 माह में सम्मान समारोह आयोजित किया जाय। सम्मान समारोह के आयोजन हेतु प्रखंड स्तर पर प्रति आयोजन अधिकतम 15000/- रुपये एवं जिला स्तर पर अधिकतम 35000/- रुपये व्यय किया जा सकता है ।

(ञ) स्थानीय एवं पंजीकृत स्वच्छाग्रही को इस विशेष अभियान (प्रति माह आधिकतम सात दिन) के संचालन में योगदान हेतु "स्वच्छाग्रही मार्गदर्शिका' के प्रावधान के अनुसार मानदेय दिया जाएगा । मानदेय कार्य संपादन आधारित (Performance based) होगा। स्वच्छाग्रही द्वारा मोबाइल एप्प पर दैनिक कार्य दर्ज करने एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मानदेय भुगतान किया जाएगा ।

(ट) संपूर्ण अभियान **'स्वच्छ गांव-हमारा गौरव'** के क्रियान्वयन में कोविड-19 के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सभी निदेशों (यथा- संबंधित व्यक्तियों द्वारा निगरानी एवं जन-जागरूकता गतिविधियों के संचालन के दौरान मास्क लगाया जाना, समुचित Social distance का अनुपालन, दिन में कई बार साबुन से हाथ धोना / हाथ को सेनेटाइज करना आदि तथा कंटेनमेंट जोन के लिए जारी विशेष निदेशों) का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

अत: अनुरोध है कि **'स्वच्छ गांव-हमारा गौरव'** अभियान का संचालन अपने कुशल नेतृत्व में संचालित करते हुए संबंधित को निदेशित करने का कष्ट करें ताकि व्यक्तिगत शौचालय निर्माण तथा व्यवहार परिवर्तन के अंतर (Gap) को दूर कर जिला में 'खुले में शौच से मुक्ति' के स्थायित्व को बनाये रखा जा सके । इस अभियान अंतर्गत प्रावधानित व्यय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-IEC मद से किया जायेगा, इस संबंध में जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा यह ध्यान रखा जाना है कि व्यय राशि जिला हेतु SBM(G)-IEC मद से व्यय की परिसीमा (कुल योजना व्यय का 2%) के अंतर्गत होनी चाहिए ।

अनुलग्नक - यथोक्त ।

विश्वासभाजन

2/9/2020

(अरविन्द कुमार चौधरी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 284974 **दिनांक** 02/09/2020

ग्रा०वि०15(स्वच्छता)-11/2019

प्रतिलिपि : सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष / निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/9/2020

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 284974 **दिनांक** 02/09/2020

ग्रा०वि०15(स्वच्छता)-11/2019

प्रतिलिपि : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका-सह-मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/9/2020

प्रधान सचिव

<u>"स्वच्छ गाँव - हमारा गौरव" IEC अभियान हेतु विस्तृत दिशा निर्देश</u>

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत सितंबर, 2020 से मार्च, 2021 (सात माह) तक प्रत्येक माह में एक सप्ताह अवधि का **'स्वच्छ गाँव- हमारा गौरव'** (SGHG) IEC अभियान का संचालन किया जाएगा। सितंबर, 2020 में अभियान का संचालन दिनांक 04 सितंबर से 10 सितंबर 2020 तक एवं अक्टूबर, 2020 से मार्च 2021 तक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह (दिनांक 01 से 07 तक) में अभियान संचालित किया जायेगा। इस अभियान को सफल बनाने हेतु अभिसरण (convergence) द्वारा ग्राम पंचायत जन प्रतिनिधियों, जीविका दीदियों एवं जीविका के समुदाय आधारित संगठनों (CBOs), आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, समुदाय के प्रभावशाली लोगों, युवाओं, सहयोगी विभागों तथा सहयोगी संगठनों से सहयोग प्राप्त किया जाय।

1.0 क्रियान्वयन हेतु निर्देश

(a) **"स्वच्छ गांव-हमारा गौरव"** अभियान अंतर्गत दो तरह की गतिविधियां संचालित की जाएंगी-

i. **<u>स्थायी गतिविधियां:</u>** अभियान के दौरान प्रति दिन सुबह-शाम निगरानी, सामुदायिक उत्प्रेरण, Follow-up, IPC एवं BCC गतिविधियों का संचालन।

ii. **<u>'विशेष थीम पर आधारित' गतिविधियां:</u>** अभियान अवधि में हर माह का विशेष थीम या संदेश होगा। LSBA-SPMU द्वारा थीम का निर्धारण कर सितंबर, 2020 से मार्च 2021 तक के लिए प्रति माह जागरूकता गतिविधियों का कैलेंडर बनाया जाएगा, जिसके आधार पर जिलों में जन-जागरूकता गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। प्रथम फेज अंतर्गत सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 तक का थीम आधारित गतिविधियों का कैलेंडर भेजा जा रहा है। जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक के लिए थीम-आधारित गतिविधियों का कैलेंडर बाद में प्रेषित किया जाएगा ।

2.0 अभियान पूर्व की तैयारी

(a) **"स्वच्छ गांव-हमारा गौरव"** अभियान के लिए योगदान देने वाले स्वच्छाग्रही (संबंधित ग्राम/ग्राम पंचायत में योगदान देने हेतु स्वच्छाग्रही संबंधित ग्राम/ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए) की सूची (मोबाइल नंबर सहित) तैयार करना एवं उसे IMIS पर Update करना ।

(b) **"स्वच्छ गांव-हमारा गौरव"** अभियान का संचालन हर ग्राम/ग्राम पंचायत में किया जाएगा। अभियान के दौरान जिला अंतर्गत वैसे ग्राम/ग्राम पंचायत/प्रखंड जहां अभी भी समुदाय के कुछ लोग "खुले में शौच" जा रहे हैं, स्वच्छता आच्छादन में अंतर (Gap) है, शौचालय के नियमित उपयोग की निरंतरता में कमी है अथवा लाभार्थियों द्वारा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण पूर्ण कराया जाना शेष है, वहां अपेक्षाकृत ज्यादा संसाधन एवं ध्यान देकर सघनतापूर्वक अभियान का संचालन किया जाना है, अभियान पूर्व ऐसे क्षेत्रों (प्रखंडवार ग्राम/ग्राम पंचायत) की सूची बनाया जाना ।

(c) पूर्व में गांववार गठित निगरानी समिति की सूची प्राप्त करना, गांव का भ्रमण कर निगरानी समिति की सक्रियता का पता लगाया जाना । सक्रिय नहीं रहने पर निगरानी समितियों का पुनर्गठन किया जाना एवं अभियान में योगदान देने वाले सक्रिय निगरानी समिति का विवरण (यथा समिति के सदस्यों के नाम एवं मोबाइल नंबर, कार्य क्षेत्र आदि) तैयार किया जाना ।

(d) **"स्वच्छ गांव-हमारा गौरव - मोबाइल एप्प"** पर स्वच्छाग्रही, प्रखंड समन्वयक, SRP/DRP, सलाहकार, जिला सलाहकार, जिला समन्वयक का निबंधन ।

3.0 "स्वच्छ गांव-हमारा गौरव-मोबाइल एप्प" मोबाइल एप पर Registration एवं संपादित कार्य की इंट्री :-

(a) अभियान में योगदान देने हेतु मोबाइल एप पर सर्वप्रथम निंबधन करना होगा एवं तदोपरांत अभियान के दौरान प्रति दिन किये गए कार्य को दर्ज किया जाएगा। मोबाइल एप को डाउनलोड करने का लिंक LSBA SPMU द्वारा प्रेषित किया जाएगा ।

(b) जिन स्वच्छाग्रही की entry स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के IMIS पर नहीं है, उनका प्रखंड कार्यालय द्वारा सर्वप्रथम IMIS पर नाम दर्ज कराया जाएगा तथा स्वच्छाग्रही को IMIS क्रम संख्या (Serial No) की जानकारी दी जाएगी क्योंकि बिना IMIS Serial No के स्वच्छाग्रही Mobile APP पर अपना निबंधन नहीं करा सकेंगे। निगरानी समिति सदस्यों का नाम एवं मोबाइल नंबर भी Mobile App में दर्ज कराना होगा, अन्यथा Registration पूर्ण नहीं होगा। DRP, SRP, प्रखंड समन्वयक, जिला सलाहकार, जिला समन्वयक हेतु Serial No की आवश्यकता नहीं है ।

4.0 निगरानी एवं अनुश्रवण :-

(a) **"स्वच्छ गांव-हमारा गौरव"** अभियान अवधि में स्वच्छाग्रही द्वारा IEC गतिविधियों की फोटो अपने मोबाइल से खींच कर प्रखंड / जिला स्तरीय वाट्सएप ग्रुप पर भेजा जाएगा। जिला एवं प्रखंड द्वारा Facebook पेज / Twitter हेंडल बनाकर प्रति दिन कार्यक्रम संचालन का संक्षिप्त विवरण एवं फोटो शेयर किया जाएगा ।

(b) **"स्वच्छ गांव-हमारा गौरव"** अभियान के सफल संचालन हेतु उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, निदेशक-सह-सचिव जिला जल एवं स्वच्छता समिति तथा जिला समन्वयक द्वारा क्रियान्वयन का दैनिक अनुश्रवण किया जाय।

(c) पत्र में वर्णित निदेश के अनुसार **"स्वच्छ गांव-हमारा गौरव"** के सफल क्रियान्वयन हेतु क्षेत्र भ्रमण, निगरानी एवं सतत अनुश्रवण कराया जाय।

5.0 "स्वच्छ गांव-हमारा गौरव" अभियान की अवधि में संचालित होने वाली दैनिक स्थायी गतिविधियां:-

<u>दैनिक स्थायी गतिविधियां</u>	(a) गांव में निगरानी समितियों के सहयोग से हर दिन सुबह एवं शाम निगरानी तथा फॉलोअप। (b) 'खुले में शौच" जाने वालों को चिन्हित किया जाना एवं उन्हें ट्रिगर (उत्प्रेरित) कर शौचालय का सतत उपयोग सुनिश्चित कराना तथा जिनके घर में शौचालय की सुलभता नहीं है, उन्हें उत्प्रेरित कर शौचालय का निर्माण कराया जाना। (c) स्वच्छाग्रही, SRP, DRP, प्रखंड समन्वयक, जिला सलाहकार, सलाहकार एवं जिला समन्वयक द्वारा प्रति दिन न्यूनतम 25 घरों का भ्रमण कर शौचालय के नियमित उपयोग के फायदे, परिवार के सभी सदस्यों द्वारा शौचालय का निरंतर उपयोग बारे में उत्प्रेरण। जिनके घर में शौचालय की सुलभता नहीं है, उन्हें शौचालय निर्माण हेतु उत्प्रेरित किया जाना। शौचालय की आवश्यकतानुसार सामान्य टूटफूट की मरम्मत के लिए प्रेरित करना तथा शौचालय में तकनीकी कमियों को दूर करने (यथा - सिंगल पिट को डबल पिट में बदलना, दो गडढे वाले सोख्ता शौचालय में वाई-जंक्शन नहीं होने पर Y-जंक्शन बनवाना, सेप्टिक शौचालय से ब्लैक वाटर निकलने पर सोख्ता बनवाकर निवारण आदि) के लिए रेट्रोफिटिंग हेतु उत्प्रेरित करना । (d) साप्ताहिक अभियान के बारे में अभियान शुरू होने से पूर्व स्थानीय समाचार पत्रों में खबरों का प्रकाशन तथा अभियान के दौरान जन-जागरुकता गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा सक्सेस स्टोरी (सफलता की कहानी) का प्रकाशन ।

6.00 "स्वच्छ गांव-हमारा गौरव' अभियान अंतर्गत सितंबर, 2020 से नवंबर, 2020 तक हेतु जन-जागरूकता थीम/संदेश

माह	थीम/संदेश	मुख्य संदेश (Key Messages) / कार्य
सितंबर 2020	सभी ग्राम पंचायत में 'खुले में शौच से मुक्ति' का स्थायित्व	1-'शौचालय का उपयोग : हमेशा, हर कोई, हर रोज' यानि कि परिवार के सभी सदस्यों द्वारा सदैव शौचालय का उपयोग किया जाना । 2- शौचालय की समुचित सफाई एवं रखरखाव हेतु उत्प्रेरण । 3- सभी गांवों में समुदाय स्तर पर निगरानी समिति को सक्रिय करना।
अक्टूबर 2020	शौचालय के नियमित उपयोग के व्यवहार को चिरस्थायी बनाना एवं व्यक्तिगत स्वच्छ आचरणों का अनुपालन	1- 'शौचालय का नियमित उपयोग - खुशहाल गांव, सभी निरोग' । 2- 'स्वच्छता को बनाएं जीवनशैली- गांव में आएगी खुशहाली' । 3- व्यक्तिगत स्वच्छ आचरण का अनुपालन हेतु उत्प्रेरण, यथा- (i) दिन में कई बार साबुन से हाथ धोना (ii) सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना (iii) पीने के पानी को साफ और सुरक्षित स्थान पर रखना (iv) कोविड-91 के संक्रमण से बचने के लिए लोगों को हमेशा मास्क का प्रयोग करने एवं पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने आदि हेतु जागरूक करना। 4- दुर्गापूजा के अवसर पर **'स्वच्छ व्यवहार - स्वच्छ त्योहार"** थीम पर स्वच्छता अभियान का संचालन। इसके अंतर्गत दुर्गा पूजा के दौरान पूजा स्थल / मेला परिसर / मेला समिति के माइक द्वारा 'मेला स्थल एवं आसपास को स्वच्छ बनाए रखने', 'स्वच्छ आचरण अपनाने', 'शौचालय का नियमित उपयोग किये जाने', "पॉलीथीन से बने कैरीबैग का उपयोग न करने तथा कागज-कपड़े के बने थैले या झोले को अपनाने', 'घरेलू कचरा प्रबंधन' आदि के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु उद्घोषण/ प्रचार- प्रसार किया जाना एवं अन्य माध्यमों से संप्रेषण।
नवंबर 2020	सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) का संबंधित समुदाय द्वारा सतत उपयोग एवं समुदाय आधारित सफाई तथा रख-रखाव	1-सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) के प्रति संबंधित समुदाय में स्वामित्व का भाव पैदा करना । 2- संबंधित समुदाय द्वारा CSC के नियमित उपयोग, साफ-सफाई एवं रखरखाव हेतु उत्प्रेरण किया जाना । 3-दलित/महादलित बाहुल्य क्षेत्रों में शौचालय के नियमित उपयोग के फायदे एवं व्यक्तिगत स्वच्छ आचरण के प्रति सामूहिक चर्चा कर जागृति लाना । 4-छठ पर्व के अवसर पर **'स्वच्छ छठ पूजा'** पर छठ घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान एवं स्वच्छता संदेश का संप्रेषण ।
दिसंबर 2020	रेट्रोफिटिंग द्वारा शौचालय की तकनीकी दोषों को दूर करना एवं सामान्य टूटफूट की मरम्मत	1-'दो गडढे वाला सोख्ता शौचालय: सस्ता भी, सबसे अच्छा भी'। 2-शौचालय की निर्माण तकनीक पर्यावरण अनुकूल हो, इसके प्रति जन-जागरूकता । 2-व्यक्तिगत शौचालय में सामान्य टूटफूट होने पर मरम्मत / रेट्रोफिटिंग हेतु उत्प्रेरण । 3- दो गड्ढे वाले सोख्ता शौचालय में तकनीकी दोष दूर करना यथा- सिंगल पिट को डबल पिट करना, पाइप की गलत फिटिंग को ठीक कराना, वाई-जंक्शन की कमी दूर कराना आदि । 4- सेप्टिक टैंक से ब्लैक-वाटर (मलमिश्रित पानी) निकलने पर सोख्ता गडढ़ा बनाकर उसका समुचित निस्तारण । 5- नये शौचालय के निर्माण में उचित तकनीक हेतु परामर्श देना ।

7.0 "स्वच्छ गांव- हमारा गौरव' अभियान अंतर्गत विशेष थीम/संदेश आधारित दैनिक जन-जागरूकता गतिविधियों की रूपरेखा

साप्ताहिक अभियान का दिवस	गतिविधि
पहला दिन	**1-जिला स्तर:** माह के मुख्य संदेशों को लेकर संचालित सप्ताहिक अभियान के बारे में जिला पदाधिकारी द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ। अभियान बारे में स्थानीय अखबारों में खबरों का प्रकाशन हेतु पत्रकारों से वार्ता। **2-गांव स्तर :** स्वच्छाग्रही, नोडल कर्मी, निगरानी समिति सदस्यों, PRI Member-मुखिया, वार्ड मेंमर, जीविका दीदियों, गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक एवं अभियान के मुख्य संदेशों तथा गांव के ODF के स्थायित्व के बारे में चर्चा। गांव/ ग्राम पंचायत को 'खुले में शौच से मुक्त बनाए' रखने हेतु सामूहिक संकल्प लिया जाना। **3-गांव स्तर:** सुबह-शाम निगरानी एवं फॉलोअप सहित विंदु 5.00 में निदेशित स्थायी गतिविधियां
दूसर दिन	**1.जिला स्तर:** जिला पदाधिकारी द्वारा माह विशेष के मुख्य संदेशों पर ई- चौपाल (वेब एप यथा-जूम कॉल आदि द्वारा 30 मिनट से एक घंटे का ई-चौपाल (आभासी चौपाल), जिसमें DWSC के सभी पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, LSBA कर्मी, सभी BDO, चयनित मुखिया, स्वच्छाग्रही, जीविका दीदी, सहयोगी विभाग एवं संगठन के प्रतिनिधि, समुदाय के लोगों के साथ अभियान के उद्देश्य पर चर्चा की जाएगी।) **2-गांव स्तर:** सुबह-शाम निगरानी एवं फॉलोअप सहित विंदु 5.00 में निदेशित स्थायी गतिविधियां।
तीसरा दिन	**1-गांव स्तर:** -पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर श्रमदान द्वारा सामूहिक सफाई अभियान एवं मुख्य संदेशों के बारे में सामूहिक चर्चा व स्वच्छता शपथ ग्रहण। **2-गांव स्तर:** सुबह-शाम निगरानी एवं फॉलोअप सहित विंदु 5.00 में निदेशित स्थायी गतिविधियां।
चौथा दिन	**जिला एवं प्रखंड स्तर: 1-**कक्षा छह से आठ के लिए चित्रकला प्रतियोगिता एवं एवं कक्षा नौवीं से बारहवीं के लिए ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता। (प्रतियोगितयों से प्रविष्टियां मंगाने हेतु जिला द्वारा ई-मेल आईडी एवं वाट्सएप्प नंबर का समाचार पत्रों में खबर प्रकाशन कर प्रचार प्रसार किया जाएगा) **ऑनलाइन चित्रकला / निबंध हेतु विषय-** **सितंबर 2020- " शौचालय का नियमित उपयोग, खुशहाल गांव सभी निरोग"** **अक्टूबर 2020- "खुले में शौच से मुक्त गांव"** **नवंबर 2020- " स्वच्छ व्यवहार, स्वच्छ त्योहार"** **दिसंबर 2020- " स्वच्छता सबका संकल्प, स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी"** **2-गांव स्तर:** सुबह-शाम निगरानी एवं फॉलोअप सहित विंदु 5.00 में निदेशित स्थायी गतिविधियां।
पांचवा दिन	**1- चौपाल में स्वच्छता पर चर्चा :** गांव में मुखिया, वार्ड मेंमर, जीविका दीदियों, समुदाय के लोगों आदि के साथ चौपाल / रात्रि चौपाल आयोजित कर मुख्य संदेशों पर चर्चा। चौपाल के अंत में ग्रामीणों द्वारा अपने गांव को 'खुले में शौच से मुक्त' बनाए रखने का संकल्प लिया जाएगा । **"या"** **2- प्रखंड स्तर :** कोविड-19 के कारण उपरोक्त चौपाल / रात्रि चौपाल का आयोजन नहीं होने की स्थिति में प्रखंड स्तर पर वेब एप्प द्वारा **ई- चौपाल / ई- रात्रि चौपाल** (आभासी चौपाल) का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत के मुखिया एवं अन्य सदस्य, स्वच्छाग्रही, नोडल पदाधिकारी, चयनित जीविका दीदी, समुदाय के लोग आदि भाग लेंगे । **3-गांव स्तर:** सुबह-शाम निगरानी एवं फॉलोअप सहित विंदु 5.00 में निदेशित स्थायी गतिविधियां ।
छठा दिन	**जिला एवं प्रखंड स्तर:** **1.सितंबर 2020** एवं **अक्टूबर 2020- "हमारा शौचालय- स्वच्छ और सुंदर"** सेल्फी प्रतियोगिता (इसके अंतर्गत समुदाय द्वारा अपने-अपने शौचालय की साफ-सफाई कर शौचालय की दीवारों को चित्रित कर सुंदर बनाया जाएगा। प्रतियोगी सपरिवार अपने स्वच्छ-सुंदर शौचालय की सेल्फी लेकर निर्धारित ई-मेल या वाट्सएप्प पर भेजेंगे तथा फोटो के साथ प्रतियोगी अपना नाम या परिवार के मुखिया नाम तथा पता भेजेंगे। प्रतियोगितयों से प्रविष्टियां मंगाने हेतु जिला द्वारा ई-मेल आईडी एवं वाट्सएप्प नंबर का स्थानीय समाचार पत्रों में खबर प्रकाशन) । **नवंबर 2020** एवं **दिसंबर 2020- "हमारा सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) - स्वच्छ और सुंदर"** सेल्फी प्रतियोगिता (संबंधित समुदाय अपने-अपने CSC तथा आसपास की साफ-सफाई कर सेल्फी लेकर निर्धारित ईमेल या वाटसएप पर भेजेंगे। समुदाय के लोग अपना नाम, CSC स्थल, गांव, ग्राम पंचायत का नाम भेजेंगे) । **2.गांव स्तर:** सुबह-शाम निगरानी एवं फॉलोअप सहित विंदु 5.00 में निदेशित स्थायी गतिविधियां ।
सातवां दिन	**1.गांव स्तर:** महादलित टोले/बसावटों एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर (निर्मित या निर्माणाधीन) स्थल पर सामूहिक सफाई अभियान का संचालन, तदोपरांत में समुदाय के लोगों के साथ Key Messages पर समूह चर्चा। **2.गांव स्तर:** सुबह-शाम निगरानी एवं फॉलोअप सहित विंदु 5.00 में निदेशित स्थायी गतिविधियां ।

8.0 <u>स्वच्छाग्रही हेतु "स्वच्छ गांव-हमारा गौरव" IEC अभियान का दैनिक कार्य प्रतिवेदन (प्रारूप)</u>

माह का नाम   वर्ष-   अभियान संचालन की तिथि- ....से....................तक

ग्राम पंचायत का नाम-   प्रखंड का नाम-   जिला का नाम-

स्वच्छाग्रही का नाम   (मोबाइल नंबर)

ग्राम पंचायत के नोडल पदाधिकारी/कर्मी का नाम   (मोबाइल नंबर)

क्रम संख्या	तिथि	सुबह-शाम निगरानी स्थल	निगरानी स्थल पर 'खुले में शौच' (OD) की स्थिति	उत्प्रेरित किए गए व्यक्तियों की संख्या एवं विवरण
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

अभियान में योगदान देने वाले सक्रिय निगरानी समिति का विवरण-

क्रम संख्या	गांव का नाम	निगरानी समिति का नाम	सदस्य का नाम	मोबाइल नंबर	हस्ताक्षर
1	ABC	यथा- पुरुष निगरानी समिति	यथा- रोहन कुमार		
			भुवन		
			गौरव		
		महिला निगरानी समिति			
		बाल निगरानी समिति			
	DEF				
	GHI........				

नोडल कर्मी का हस्ताक्षर-   स्वच्छाग्रही का हस्ताक्षर-

सत्यापन अधिकारी (BDO/BDO द्वारा नामित सत्यापन पदाधिकारी/BC) का हस्ताक्षर-